



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

Bihar State Power Transmission Company Limited

(निबंधित कार्यालय:-विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

Website:www.bsptcl.bih.inc.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

का० आ० सं०- 554

दिनांक-.....22.10.24/

T/IV/Misc/Allegation-4003/2024

श्री चन्द्रमोहन (E16332), सहायक, कंपनी मुख्यालय, पटना को संलग्न आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') में विनिर्दिष्ट- अभद्र/अशिष्ट एवं अमर्यादित व्यवहार संबंधी आरोप के लिए पूर्ववर्ती बोर्ड के संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश की कंडिका 29 B की उप कंडिका (g) एवं (j) तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (iii) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, श्री चन्द्रमोहन को उक्त प्रतिवेदित प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए आरोपों के लिए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-1352 दिनांक-15.10.2024 द्वारा तत्क्षण प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि का मुख्यालय-विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ (पूर्वी) निर्धारित किया गया।

आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') में विनिर्दिष्ट- अभद्र/अशिष्ट एवं अमर्यादित व्यवहार संबंधी आरोप के लिए पूर्ववर्ती बोर्ड के संशोधित प्रमाणित स्थायी आदेश की कंडिका 29 B की उप कंडिका (g) एवं (j) तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (iii) के तहत श्री चन्द्रमोहन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री विनोद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त विद्युत कार्यपालक अभियंता, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना (मोबाईल नं०-7061243819; Email ID- vinod181959@gmail.com) को जाँच पदाधिकारी एवं श्री धीरेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, संचरण कंपनी मुख्यालय, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

श्री चन्द्रमोहन (E16332), सहायक (निलंबित), मुख्यालय-विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ (पूर्वी) को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के साथ संलग्न आरोप-पत्र में वर्णित आरोप के संबंध में अपना लिखित बयान एक पखवारा के अंदर जाँच पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सूचित करें कि उक्त विभागीय कार्यवाही में वे अपना पक्ष स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। यदि वे अपने बचाव में कोई साक्ष्य या गवाह भी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इसकी सूचना भी जाँच पदाधिकारी को दें।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक हस्ताक्षरित प्रति इसके अनुलग्नक की हस्ताक्षरित प्रति के साथ श्री चन्द्रमोहन (E16332), सहायक (निलंबित), मुख्यालय-विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ (पूर्वी) को अग्रसारित किया जाय।

आदेश से,

ह०/-

(राजीव कुमार सिंह)

उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)


(कृ०पृ०उ०)

ज्ञापांक-.....2772.....

पटना, दिनांक-.....22.10.24.....

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (मांसं०/प्रशा०)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/उपमहाप्रबंधक (मांसं०/प्रशा०)/अवर सचिव/डी.बी.ए./प्रशासी पदाधिकारी (ERP), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. डी.बी.ए से अनुरोध है कि इस आदेश की प्रति कंपनी के बेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।


22/10/24

उप महाप्रबंधक (मांसं०/प्रशा०)



(6)

(11) DBA